राजस्थान सरकार
राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
निधिका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य उपाध्यक्ष, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-2229981, E-mail ID : pdmnhhm@gmail.com

--परिप्रेक्ष्य--

कोविड-19 विश्वभरी महामारी से चलते राज्य के प्रत्येक लाभार्थी को समुचित विकल्प सेवाएं उपलब्ध हो सकते इसके लिए राज्य सरकार कार्यान्वयन है। मात्र शिशु वेबारे में अधिक का एक महत्त्वपूर्ण कारण अधिक है जबकि कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश वेबारे एक सत्ता प्रक्रिया है जिसे नितिःसार गुणवत्ता पूर्वक बनाना रखना आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कोविड-19 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसार हो सके। इस संक्रमण के अवसर पर विभाग एवं अंशक्षेत्र शिशुओं को भी सुरक्षित रखा जा सके यह आवश्यक तथा इसी आवश्यकता के मद्देनजर पूर्वक से कोविड-19 पांजिटिव प्रसुलता हेतु पृथक लेबर सं नरा आवश्यक है। इस हेतु मुख्य कार्य निभानुसार किया जा रहा है।

1. स्थान का चयन:— इसके अंतर्गत स्थानीय एनएयम सिबिल अनुगमन से संयुक्त कर जो राशि आपसी की जा रही है। उसमें से अपने संचार पर आपसीवेशण कीमत वाले के अंदर ही अनुमानित 25 फीट एवं 25 फीट लगभग 750 Sq Feet क्षेत्रफल वाला उपयुक्त स्थान चयन करना है। इससे विद्याभवना स्थानीय अनुमानिते संचार बहुत है। (इसका माननिक आपके उपलब्ध कराना जा रहा है) लेबर रूप में 1.5 टन एवं फ्यूडशेंस, एनियसिसी एवं स्टोरेज, वूटी की चेतना रूप में एवं एक वोल्टम (बैथरा में गर्मी) नूतनता 8x8 Feet का होगा जिसमें सभी उपभोक्ताओं की जगह गैस, एचवर, रेडियो क्लोन, लिक्विड हेड वार्षिक, टाइपर, पेपर, बाल्टी, नग आदि दीनिक उपयोग की समस्त यवस्था सहित लेबर किया जा रहा है।

2. मेट्रिनिटी कॉट की उपलब्धता:— प्रत्येक संचार पर चूँकि 05 मेट्रिनिटी कॉट आर्यभरणसंग्रहीत के माध्यम से उपलब्ध कराने जाए जिसकी स्वीकृति आर्यभरणसंग्रहीत को पृथक से जारी की जा चुकी है। यह मेट्रिनिटी कॉट कोविड-19 पोजिटिव गर्भवती महिलाओं के लाभ के लिए प्रीमियर वेबारे, प्रसार एवं प्रसार परिवार अधिकांश ठहराव की दृष्टि से उत्तेजित है, उपयोग लिया जाना चाहिए। इस कॉट की यह विशेषता है कि यह प्रसार पूर्व विभाग, प्रसार प्रक्रिया के द्वारा लेबर टेबल के पत्ते नहीं आता है एवं लेबर रूप से प्रसुलता को पोस्ट नेटल वार्ड में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इस पोस्ट नेटल वार्ड में जहां स्वास्थ्य प्रसुता अपने नवजात पिछले की देखभाल जो आगामी 14 से 21 दिन तक भी कर दी गई है, उपयोग में लिया जा सकता है। यह मेट्रिनिटी कॉट उपयोग की दृष्टि से सरल, सुरक्षित एवं लंबे समय के ठहराव की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी अतीतादायक रहेगा।

3. प्रसुता की निजता एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करना:— प्रसार पूर्व एवं प्रसार परिवार वार्ड में मेट्रिनिटी कॉट को पोस्ट पूर्ता की निजता की दृष्टि से वेब के चारों तरफ एक अंदाज़ गेलाई में पदों लगाया जाना होगा। जिसके समय-समय वंचना आसानी से लगाया अथवा हटाया जा सकता है तकाकि आवश्यकतानुसार प्रसुता अपने जिल्ले प्रसार स्त्री का स्थानान्तर एवं स्वास्थ्य के लिए निजता का ध्यान रख सकते। प्रत्येक वेब के समय ही मोबाइल चार्ज हेतु इलेक्ट्रिक पॉइंट होना आवश्यक है। साथ ही दीनिक दीनिक हेतु अतिरिक्त बदला भी लगा होना जरूरी है। वेब के समय सप्तपुरी दीनिक नियमानुसार होनी आवश्यक है यथा वेब साइड लॉक, प्रसुता को दी जाने और ही आवश्यक है।
खाने योग सामग्री जैसे बिक्रेता, कलेवा मैनुअल के अनुसार दर्जिया, खिड़की, धुली, फल, फूल आदि को रखने के लिए यथास्था विकसित करनी है। पीने के लिए पृथक से पानी की यथास्था जोंकि 5 लीटर का कूल फैल (कॉलेक्टर) की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है वेड के समीप ही रिमोट कॉल बेल भी लगानी है ताकि आवश्यकतानुसार प्रस्तुत स्तर को अस्वस्थ हेतु व्यक्ति सके।

4. आवश्यक उपकरण, रिकॉर्ड्स एवं औषधियाँ— कोविड-19 पोजिटिव प्रस्तुताओं को दी जाने वाली सेवा के अन्तर्गत कार्य में लौटाने वाली औषधियाँ एवं उपकरण आदि अपने नियमित प्रस्तुत क्षेत्र में दी जाने वाली साৎखाई में से ही उपयोग में लेने होंगे। इनकी विशेषता प्रक्रियाएं जोंकि कोविड-19 के दिशा-निर्देशानुसार समय-समय पर निर्धारित जाती है उनकी ही पालना करना है।

कोविड-19 लेबर रूम कोम्पलेक्स के विभिन्न सर्विस एरिया में निम्न सामग्री देखा जाएगा

(अ) प्रोटेक्ट परिपक्व— इसमें हील बिन, फेंटोस्कोप, फिडर हॉपर, बीपी इन्स्ट्र्यूट, नॉन टैंगेंट थर्मोमीटर, बॉक्स कलक, वजन गापन की मशीन, मेजरिंग टेप, कलर कोड़ेड बीस, आवश्यक रिकॉर्ड रजिस्टर, जेएसवई टिकट, ममता कार्ड, हैंड सेक्शनाइजर आदि।

(ब) लेबर रूम— लेबर रूम में लेबर टेबल मेट्रिनिटी कॉट, बॉक्स कलक, थर्मोमीटर, डिलिवरी ट्रॉली, आईनी स्टेट्ज, ओर्टेंटियल, ओर्टेंटियल इज्म, रॉक्टेंटर, बीपी उपकरण, ओप्शनल सिलेंडर, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, आवश्यक औषधियाँ, बायोमेडिकल वेस्ट मेनजमेंट के अनुसार आवश्यक सामग्री, पैड्स, मास्क एवं सभी 7 तरह की आवश्यक ट्रेस मय लगानी आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

(स) पोस्ट नेटल एरिया— आईनी स्टेट्ज, बैड साईड लॉकर, बीपी उपकरण, थर्मोमीटर सहित आवश्यक औषधियाँ एवं कोविड-19 के प्रोटेक्टर अनुसार पीपीई सामग्री आदि, साथ ही नेगेटिव प्रेसर एरिया विकसित करने हेतु आवश्यकतानुसार एनजोस्ट फैन भी लगाये जाने हैं।

(द) प्रस्तुत सेवायें— प्रस्तुत सेवायें शिशु रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑन कॉल सेवाएं अथवा ऑनपल्टर सेवाएं दिया जाना आवश्यक है, प्रस्तुत कार्य वक्ता अथवा एलसीए प्रशिक्षित स्तर द्वारा ही किया जाएगा।

5. कोविड-19 के दौरान रखें जाने वाली विशेष साधनाओं— प्रस्तुत परवर्ती प्रस्तुता व नवजात शिशु की देखभाल सभी तरीकों से हो सकते एवं भाग में संक्रमण शिशु को नहीं हो इस हेतु पूर्ण सामग्री, मां को आवश्यक जानकारियाँ आदि देना बहुत महत्वपूर्ण है। जारी किये गये प्रोटोकॉल पोस्टर प्रस्तुत के समीप प्रस्तुत होना आवश्यक है। कोविड-19 प्रस्तुति एरिया में एक एलसीए भी लगाया जाना है ताकि लंबे समय तक ठहराव के दौरान प्रस्तुत को आवश्यक जानकारी एवं प्रस्तुत के मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

6. शाया में जिला मुख्यालय पर जाएं ताकि वर्तमान में यथास्था से उक्त सेवायें पूर्व से ही संचालित हैं वे आवश्यक शास्त्री को दिये गये प्रोटोकॉल अनुसार उपयोग में लें एवं उपयोग के बेहतरीन बनाया जाना है।
7. क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित सामग्री आरएमएससीएल, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
शेष उपकरण आवश्यकतानुसार नियमित पीआईपी में आपको सलाह दी जा रही है। स्थानीय
स्तर पर भी संस्थान से सामान्य बेड व लेबर टेबल का उपयोग कर सेवायें प्रारम्भ की जानी है।
जिले के अधीनस्थ संस्थानों एवं लामार्थियों को उक्त सेवाओं की समृद्धि जानकारी दी सेवाओं
सुनिश्चित हो सके।

उक्तानुसार समस्त कार्य आगामी 15 दिवस में पूर्ण कर सेवायें प्रारम्भ की जानी है,
यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संस्थान प्रभारी होगी। आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु राज्य मुख्यालय
मात्र स्वास्थ्य अनुभाग/सिविल अनुभाग, एनएचएम से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्न:- 1- कोविड-19 लेबर रूम कोम्पलेक्स प्रोटोटाइप 3 डी डिजाइन
2- बजट आवधन स्वीकृति आदेश।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. निदेशक
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तित है :-
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं विभाग निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कांडक्टर, समस्त जिले।
5. निजी सहायक, निदेशक—आरसीएच।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आरसीएच।
7. अधीनस्थ, समस्त मंडलिक कोलेज, एवं अधीनस्थ चिकित्सालय।
8. मुख्य अभियंता, सिविल विभाग अनुभाग, एनएचएम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य का
    संचार जिलों में समय कर सुनिश्चित कराये।
9. संयुक्त निदेशक, समस्त संस्थान को भेजकर लेख है कि सभी जिलों में उक्त कार्य समृद्धि करते हुए
    पालना सुनिश्चित कराये।
10. समस्त जिला प्रमुख कोविड-19 उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में सक्रिय भागीदारी निभायें।
11. परियोजना निदेशक— मात्र स्वास्थ्य।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
13. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले।
16. सर्वर रूम।
17. रक्तदाता पद्धति।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. एवं
निदेशक, एनएचएम
COVID LR Complex

Dedicated Natal Service Area for COVID-19 positive Mothers
Every bed should have provision of bell in case mother/pregnant women requires any kind of assistance.

Newborn Care Corner (NBCC) should be located in LR itself.

A separate store room and dirty utility area needs to be developed.

Toilet is located in the vicinity of complex and accessible to LR, ANC and PNC mothers.

Important specifications to be considered.